

कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, जिला-रायपुर, (छ.ग.)

—: संशोधित आदेश :-

क्रमांक/46/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 30/07/2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1193/एस.डब्ल्यू/2020 रायपुर दिनांक 27.07.2020 के क्रमांक 04 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

04. फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान को चिल्हर/थोक में विक्रय करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को दिनांक 29 एवं 30 जुलाई 2020 (02 दिवस) हेतु विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन संबंधी गतिविधियाँ करने की अनुमति प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक अनुमति दी गई है। उक्त अनुमति को दिनांक 31 जुलाई 2020 एवं 01 अगस्त 2020 (2 दिवस) तक बढ़ाई जाती है।

उक्त कार्यालयीन आदेश की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावित होगा।

(डॉ. एस. भारतीदासन)

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी,

जिला-रायपुर

रायपुर, दिनांक 30/07/2020

पृ. क्रमांक/46/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिका निगम, रायपुर/बीरगँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सर्व अनुविभागीय अधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. उप संचालक, जनसंपर्क रायपुर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
9. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी,

जिला-रायपुर